POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 28.07.2025

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा वादी को इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के माध्यम से 2,89,50,000 रुपये की धोखाधड़ी/ ठगी करने वाले गैंग का 01 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **28.07.2025** को **थाना साइबर क्राइम** पुलिस द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए वादी को इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ कमाने का झांसा देकर 2,89,50,000 रुपये की धोखाधड़ी/ ठगी करने वाली गैंग का 01 अभियुक्त नितेश कुमार प्रसाद पुत्र शिव शंकर प्रसाद को फरीदाबाद, हरियाणा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा दिनांक 22/07/2025 को थाना साइबर क्राइम पर आकर लिखित तहरीर दी कि साइबर अपराधी द्वारा स्वयं को एबॉट वेल्थ कोलकाता (भारत) कंपनी का कर्मचारी बताकर व्हाट्स एप्प के माध्यम से संपर्क कर इन्वेस्टमेंट कराकर ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ कमाने का झांसा देकर वादी के साथ 2,89,50,000 रुपये की धोखाधड़ी की गयी। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए त्वरित कार्यवाही कर धोखाधड़ी में संलिप्त बैंक खातों को तत्काल फ्रीज कराये गये।

पूछताछ का विवरण--

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने अपने बैंक खाते को 02 प्रतिशत के लाभ कमाने के लिए अन्य अभियुक्तगण को दे दिया। इसी क्रम में अभियुक्त के कोटक महिंद्रा बैंक के खाते मे इस घटना के धोखाधड़ी के 6,00,000 रुपये का आना पाया, और अन्य घटना से संबंधित 30,77,074 रुपये का आना पाया गया है। साइबर क्राइम में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ़्तारी शीघ्र की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

नितेश कुमार प्रसाद पुत्र शिव शंकर प्रसाद निवासी फरीदाबाद, उम्र-24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0-77/2025 धारा 318(4),319(2) बीएनएस व 66डी आई.टी.एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में वादी के साथ हुई धोखाधड़ी की 26,00,000 रुपये फ्रीज़ कराये जा चुके है, रिफन्ड की कार्यवाही प्रचलित है।

धोखाधड़ी मे प्रयुक्त बैंक खातों को एनसीआरपी पोर्टल पर चेक करने पर कुल 02 शिकायतें (कर्नाटक - 01, उडीसा - 01) दर्ज पाई गई है, जिसके संबंध मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट :- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु–

1. किसी भी इन्वेस्टमेंट संबंधी ई-मेल, लिंक को बिना जांच न खोले।
2. निवेश संबंधी विवादों के लिए SEBI की आधिकारिक WEBSITE पर सर्च करे ।
3. किसी भी अज्ञात टेलीग्राम/ व्हाट्स एप्प ग्रुप में न जुडें, और उस ग्रुप में चल रही इन्वेस्टमेन्ट के मुनाफे की बात पर यकीन न करें।
4. टेलीग्राम/ व्हाट्स एप्प ग्रुप में किसी भी सदस्य द्वारा निवेश के बाद मोटे मुनाफे की बात कही जा रही है तो उक्त बात पर यकीन न करें।
5. शेयर ट्रेडिंग/ IPO में निवेश केवल बैंक/विश्वसनीय डीमेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से ही करें।
6. शेयर ट्रेडिंग / IPO में निवेश करने हेतु कभी भी सीधे किसी बैंक खाते में धनराशि जमा न करें।
7. टेलीग्राम/ व्हाट्स एप्प ग्रुप में जुडने के बाद अगर किसी भी सदस्य द्वारा आपसे लिंक के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिये कहा जाता है तो आप उसे डाउनलोड न करें।

अति महत्वपूर्ण-- साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल इसकी सूचना अपने नजदीकी थाना साइबर क्राइम एवं भारत सरकार के साइबर हेल्पलाइन नं0-1930 पर कॉल करें साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित NCRP पोर्टल, Cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करायें ।

2. थाना बिसरख पुलिस व चोरी करने वाले बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में--

विवरण-- दिनांक **28.07.2025** को **थाना बिसरख पुलिस** द्वारा चार मूर्ति से सूरजपुर जाने वाली सड़क पर चेकिंग की जा रही थी तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर सर्विस रोड पर भगाने लगा। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का पीछा किया गया तो मोटरसाइकिल नर्सरी कट तिराहे के पास अनियंत्रित होकर गिर गयी। मोटरसाइकिल बदमाश द्वारा पुलिस टीम से अपने आप को घिरता देख जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान पवन पुत्र महीपाल निवासी ग्राम जलाली, थाना हरदुआगंज, अलीगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष के रूप में हुई है। घायल

बदमाश के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त से चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर संबंधित मु0अ0सं0- 23/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व चोरी का 01 मोबाइल फोन व 5000 रूपये नगद संबंधित मु0अ0सं0- 454/2025 धारा 305 बीएनएस, थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर बरामद किये गये है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **अभियुक्त पवन का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0- 00919/2018 धारा 379/411 भादवि, थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु0अ0स0- 02919/2018 धारा 379/411 भादवि, थाना साहिबाबाद, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3. मु0अ0स0- 21820/2018 धारा 379/411/34 भादवि, थाना रानी बाग, दिल्ली।
4. मु0अ0स0- 00117/2020 धारा 379/411 भादवि, थाना विजय नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
5. मु0अ0स0- 01117/2020 धारा 379/411 भादवि, थाना विजय नगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
6. मु0अ0स0- 00329/2020 धारा 411 भादवि, थाना टीला मोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
7. मु0अ0स0- 00320/2020 धारा 414/411 भादवि, थाना टीलामोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
8. मु0अ0स0- 00421/2023 धारा 379/411 भादवि, थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
9. मु0अ0स0- 00467/2023 धारा 379/411 भादवि, थाना इन्दिरापुरम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
10. मु0अ0स0- 0180/2023 धारा 380/411 भादवि, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
11. मु0अ0स0- 0316/2023 धारा 332 भादवि, थाना टीला मोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
12. मु0अ0स0- 0276/2025 धारा 317 (5) बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0- 0023/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
14. मु0अ0सं0- 0454/2025 धारा 305 बीएनएस, थाना बिसरख, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3. थाना फेस-2 पुलिस व चोरी व लूट करने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में--

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **28.07.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा नया गांव तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार 02 व्यक्ति आते दिखायी दिये। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से मोड़कर निम्मी विहार की तरफ भगाने लगे। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों का पीछा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। बदमाशों द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में 01 बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान रोशन पुत्र जीरेन निवासी ग्राम रवेड़ा, थाना कमडरा, गुमला (झारखण्ड) वर्तमान पता भंगेल, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। घायल बदमाश के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। दूसरे बदमाश को पुलिस कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया जिसकी पहचान धन्नंजय पुत्र अशोक निवासी नोथर कॉलोनी कस्बा व थाना फरक्खा, मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) वर्तमान पता भंगेल, थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष के रूप मे हुई है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया है। मौके से घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस रजि0नं0- DL9SZ1520 बरामद की गयी है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

- **अभियुक्त रोशन का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0- 228/2022 धारा 380/411 भादवि, थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0- 398/2023 धारा 392/411 भादवि, थाना सैक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0- 411/2023 धारा 380/411 भादवि, थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0- 412/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व धारा 413/414 भादवि, थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
5. मु0अ0सं0- 473/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कौशाम्बी, कमिश्नरेट गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0- 613/2024 धारा 303(2)/308(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
7. मु0अ0सं0- 614/2024 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
8. मु0अ0सं0- 615/2024 धारा 109/317(2)/317(5) बीएनएसव धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

4. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **28.07.2025** को **थाना सेक्टर-63 नोएडा** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए दुपहिया वाहन चोरी करने वाले 02 चोर 1.आशिक पुत्र मुमताज अली 2.अंकुश चौधरी पुत्र राम भवन चौधरी को सी ब्लाक सर्विस रोड़ के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से मु0अ0सं0 343/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की एक बुलेट मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी 32 एल.वाई. 0214 बरामद की गयी है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. आशिक पुत्र मुमताज अली निवासी कासौन, थाना बांगवाला, जिला एटा वर्तमान पता ग्रान्ड विस्टा होटल के पास, सेक्टर-63ए नोएडा उम्र 22 वर्ष।
2. अंकुश चौधरी पुत्र राम भवन चौधरी निवासी भिटा राम सैन, थाना पिपराईच, जिला गौरखपुर वर्तमान पता ग्राम होशियारपुर, थाना सेक्टर-49, नोएडा उम्र 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 343/2025 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-63 नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

एक मोटरसाइकिल बुलेट रजि0 नं0 यूपी 32 एल.वाई. 0214